जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, जिला–मुंगेर।

बी.ए. नंबर–1221/2026

बरियारपुर थाना कांड संख्या–67/2026

मो0 बदरुद्दीन बनाम बिहार राज्य।

23.06.2026 काराधीन आवेदक यथा **मो0 बदरुद्दीन** जो दिनांक **22.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश झा के द्वारा संचालित किया गया, जो बरियारपुर थाना कांड सं0–67/2026 अंतर्गत धारा–25(1-B)a/26, 35 आयुध अधिनियम के अधीन दर्ज है एवं जिनका यह वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–द्वितीय, मुंगेर के न्यायालय में लंबित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार सिन्हा एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश झा को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार, अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक थानाध्यक्ष अमरेश कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक दिनांक 22.04.2026 को समय करीब 01:20 गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति एन0एच0–80 पर कुदरकट्टा पुल के पास पियाजो टेम्पू में भारी मात्रा में अवैध देशी पिस्टल रखकर आपस में खरीद–बिक्री करने वाले हैं। सूचक ने उचित कार्यवाही कर अपने साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के साथ उक्त स्थान पर गया, तो देखा कि दो व्यक्ति एक टेंपू में बैठा हुआ है तथा एक व्यक्ति टेंपू के बगल में मोटरसाइकिल लेकर खड़े होकर दोनों बात कर रहे हैं, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास किए, जिन्हें पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया तथा पकड़ाए व्यक्तियों ने अपना–अपना नाम राजकुमार यादव एवं बदरुद्दीन (अभियुक्त आवेदक) बताया। दोनों व्यक्तियों के बदन की तलाशी के क्रम में दोनों के पास से सिर्फ मोबाइल बरामद हुआ है, परंतु पियोजी टेंपू की तलाशी के क्रम में उसकी सीट के नीचे बने तहखाना से लोहे से निर्मित 15 मैगजीन लोडेड देशी पिस्टल तथा अतिरिक्त 15 मैगजीन बरामद हुआ। बारी–बारी से सभी पिस्टल को अनलोड करने पर चेम्बर खाली एवं मैगजीन खाली पाया गया। पकड़ाए व्यक्ति राजकुमार यादव ने बताया कि पियाजो टेंपू का चालक/मालिक हूँ तथा सुल्तानगंज से अवैध हथियार लेकर एन0एच0–80 पर कुदरपट्टा पुल के पास बदरुद्दीन को डिलीवरी देना था। डिलीवरी लेने बदरुद्दीन आए थे। दोनों के बीच खरीद–बिक्री की बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। बदरुद्दीन ने बताया कि राजकुमार यादव के द्वारा हथियार लाकर देने की बात हुई थी। राजकुमार यादव ने खरीद के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। बरामद आग्नेयास्त्र की विधिवत जप्ती सूची बनाकर पकड़ाए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

लगातार

23.06.2026. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो विद्वान सत्र न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है। अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इस कांड में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक मजदूर है तथा आवेदक का बरामद सामान से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक–22.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है और उनका फरार होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

आवेदक दिनांक–22.04.2026 से कारा में संसीमित हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है और उनपर अवैध आग्नेयास्त्र रखने एवं उसका खरीद–बिक्री करने का आरोप है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त आवेदक जिस पियाजो टेंपू से अवैध आर्म्स जप्त की गयी, वह टेंपू आवेदक का नहीं है और उन्हें मात्र इस कारण अभियुक्त बनाया गया कि वह उस पियाजो टेंपू के बगल में अपने मोटरसाइकिल के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। **अभियुक्त आवेदक के कब्जे से कोई भी अवैध आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है,** बल्कि तथाकथित पियाजो टेंपू के सीट के नीचे बने तहखाना से आर्म्स की बरामदगी हुई है, जो पियाजो टेंपू भी आवेदक का नहीं है। कंडिका–66 में अनुसंधानकर्ता के द्वारा उल्लेख किया गया है कि **अभियुक्त आवेदक मो0 बदरुद्दीन के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।** अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध संज्ञान भी लिया जा चुका है और **अभियुक्त आवेदक दिनांक 22.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित हैं।** ऐसी स्थिति में अभियुक्त आवेदक को और अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में अनुसंधानकर्ता के द्वारा पूछताछ हेतु रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति तथा विशेषतः आवेदक के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त आवेदक यथा **मो0 बदरुद्दीन** को **दस हजार रूपये का बंध**

लगातार

23.06.2026. पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके निकट संबंधी होंगे।**
2. **आवेदक वाद के निष्पादन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(गौतम कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, मुंगेर।
दिनांक 23.06.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–द्वितीय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

(गौतम कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, मुंगेर।
दिनांक 23.06.2026